संख्या 4725 / II–2005–03(08)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 30 दिसम्बर, 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आयोजनेत्तर मद में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2005–06 में प्रथम अनुपूरक मांग में आयोजनेत्तर मद में बाढ़ सुरक्षा कार्यो के लिए प्राविधानित धनराशि मे से रू0 729.00 (रूपये सात करोड उनतीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू /नये कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एव कार्यो के प्रावकलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

5– जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

6– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण – पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः.....2

7– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01–बाढ़ नियंत्रण, आयोजनेत्तर 103–सिविल निर्माण कार्य, 03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव–00– 24–बृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–79(ख) /XXVII(2)/2005 दिनांक 24 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

टीकम सिंह पंवार
संयुक्त सचिव

संख्या 4725 /II–2005–03(08)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–2
4– श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव